प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.07.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 28 पेटी देशी शराब(हरियाणा मार्का कुल 1400 पव्वे) व 01 कार बरामद ।

दिनांक 04.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त यशपाल उर्फ संजय पुत्र धर्मवीर निवासी- म0नं0- सी- 255 गली नं- 6 राजीव नगर हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष को ताहिरपुर कट वजीराबाद रोड़ से 28 पेटी देशी शराब(हरियाणा मार्का कुल 1400 पव्वे) व 01 कार बरामद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त यशपाल उर्फ संजय पुत्र धर्मवीर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 63/72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त यशपाल उर्फ संजय पुत्र धर्मवीर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त बरामद अवैध देशी शराब को कार के द्वारा सोनीपत हरियाणा से सस्ते दामों में खरीद कर लाता है और अधिक दामों में दिल्ली, गाजियाबाद में बेचता है। जिससे अधिक मुनाफा कमाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

यशपाल उर्फ संजय पुत्र धर्मवीर निवासी- म0नं0- सी- 255 गली नं- 6 राजीव नगर हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

28 पेटी देशी शराब(हरियाणा मार्का कुल 1400 पव्वे) व 01 कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त यशपाल उर्फ संजय पुत्र धर्मवीर उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1.900 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक 05.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र पुस्ता से अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त 1. मोनू पुत्र शहजाद निवासी पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. मुन्ना पुत्र शकील निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 1.900 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 08/20 NDPS ACT के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग गांजा जावेद उर्फ सद्दू निवासी हाल पता दौलतनगर ट्रोनिका सिटी से खरीदते है तथा छोटी-छोटी पुडिया बना लेते हैं तथा चोरी-छिपे क्षेत्रो में राह चलते व्यक्तियों को घूम फिरकर बेच देते हैं तथा प्राप्त रूपयों से अपने शौक पूरे करते हैं । आज भी जो गांजा हमारे से बरामद हुआ है, हमने जावेद उर्फ सद्दू से खरीदा था तथा उसको बेचने के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मोनू पुत्र शहजाद निवासी पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष
2. मुन्ना पुत्र शकील निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 28 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

जावेद उर्फ सद्दू निवासी हाल पता दौलतनगर ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 1.900 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मुन्ना के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग (कुल-04 अभियोग) तथा अभियुक्त मोनू के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 04.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 22.06.2025 को वादी की पुत्री उम्र 17 वर्ष को अभियुक्त असद पुत्र सकील निवासी गोविन्दपुरी मोदीनगर द्वारा होटल ले जाते समय मना करने पर मारपीट करने एवं पूर्व में शारीरिक संबंध बनाना तथा जान से मारने की धमकी देना । जिसके आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2)/64/115(2) BNS व 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 05.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त असद पुत्र सकील निवासी गोविन्दपुरी मोदीनगर को न्यू मानवता पुरी सारा रोड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरी पीडिता से 02 वर्षो से दोस्ती है, पूर्व में फोन द्वारा बात होती रही, पूर्व में पीडिता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना स्वीकार किया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

असद पुत्र सकील निवासी गोविन्दपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 04.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त पवन द्वारा वादिया की पुत्री उम्र 16 वर्ष से दोस्ती कर बहला -फुसलाकर अपने घर ले जाकर गलत काम कर वीडियो बना लेना तथा वादिया की पुत्री को पुनः स्कूल के बाहर से अपने घर ले जाकर वीडियो दिखाकर बार बार गलत काम करना तथा किसी को न बताने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-137(2)/64(2)/351(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.07.2025 थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पवन कुमार पुत्र ब्रजेश निवासी गली नम्बर 7 उत्तरांचल कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी चाँदपुर निकट आलू का कोल्ड स्टोर थाना घटिया घाट जिला फर्रूखाबाद उम्र 22 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादिया की पुत्री से मेरी दोस्ती थी जिसके चलते उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था जहाँ मैने उसके साथ गलत काम कर वीडियो बनाई थी और वीडियो को दिखाकर मैने उसके साथ कई बार गलत काम किया, यह वही फोन है जिसमें मैने उसकी वीडियो बनाई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पवन कुमार पुत्र ब्रजेश निवासी गली नम्बर 7 उत्तरांचल कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी चाँदपुर निकट आलू का कोल्ड स्टोर थाना घटिया घाट जिला फर्रूखाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक मोबाईल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।